

**झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

:: आदेश ::

आदेश संख्या:-5/विविध (आरोप)-2-4/2016 का० 2690/राँची, दिनांक 29 मार्च, 2016

निगरानी थाना काण्ड संख्या-26/15, दिनांक 15.06.2015 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री यादव बैठा, झा०प्र०से०, अंचलाधिकारी, सतगाँवा, कोडरमा को दिनांक-16.06.2015 को निगरानी ब्यूरो के गठित धावा दल द्वारा परिवादी मुन्ना कुमार सिन्हा, पे०-स्व० नागेश्वर प्रसाद, सा०-नन्दूडीह, थाना-सतगाँवा, जिला-कोडरमा से 15,000/- (पन्द्रह हजार) रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के उपरांत इन्हें विभागीय आदेश सं०-7908, दिनांक-31.08.2015 द्वारा दिनांक 16.06.2015 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया है।

2. उक्त कांड में श्री बैठा के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है, इसलिए इन्हें आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त किया जाता है।

3. निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

29.3.16
(दिलीप तिकी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :- 5/विविध (आरोप)-2-4/2016 का० 2690/राँची, दिनांक 29 मार्च, 2016

प्रतिलिपि- विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई० गजट को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

29.3.16
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :- 5/विविध (आरोप)-2-4/2016 का० 2690/राँची, दिनांक 29 मार्च, 2016

प्रतिलिपि- राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग/विभागीय सचिव कोषांग/प्रमंडलीय आयुक्त, उ०छो० प्रमंडल, हजारीबाग/उपायुक्त, कोडरमा/पुलिस अधीक्षक, निगरानी ब्यूरो, झारखण्ड, राँची/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-3 एवं 4/प्रशाखा-5 (चारित्री कोषांग)/श्री यादव बैठा, झा०प्र०से०, द्वारा-आयुक्त के सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, उ०छो० प्रमंडल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.3.16
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :- 5/विविध (आरोप)-2-4/2016 का० 2690/राँची, दिनांक 29 मार्च, 2016

प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.3.16
सरकार के उप सचिव।